

Status of Vehicle under Monitoring for 2018-19

Sl.No.	Registration No. of Vehicle	Name of Agency /Vehicle's owner	Name of Block	Amount
1	UP 80 CT 1703	Bheekam Singh	Tundla	24940
4	UP 83 T 7848	Kishan Singh	Kotla	24940
5	UP 83 BT 8287	Rohit Sharma	Khairgarh	24850
11	UP 83 AT 6816	Hirday Mohan Jain	CMO Office	24940


*Chief Medical Officer
Pirozabud*

भारतीय गैर न्यायिक



AX 554853

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH खुलबच्च पत्र(नवीनीकरण)

प्रम पा.
द्वितीय पक्ष
वाहन संख्या

प्रम पा.

मुख्य विकितसा अधिकारी महाराजा सचिव-पिला स्वास्थ्य समितिनपद किरोजावाद।
श्री भीकरम लिंग पुत्र श्री मुरली सिंह निजामी-निजामी लक्ष्मी दृष्टिला, किरोजावाद।
यह अनुबन्ध मुख्य विकितसा अधिकारी सहस्र साधिय राज्य समिति किरोजावाद द्वारा राज्यीय ग्रन्थिण
स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मौनीटीक्ष्ण कार्यक्रम के सम्बन्ध में पूर्व में हुा निवाद दिनांक 03.03.2015 को जनपद
फिरोजावाद में सम्पादित किया गया। विज्ञा स्वास्थ्य समिति की वैठक दिनांक 29.04.2016 के अनुमतिन के विद्वुं संस्था
क्रम में इस अनुबन्ध का नवीनीकरण दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक / नई निवाद की कारगवाही पूर्ण होते

1. द्वितीय पक्ष मुख्य विकितसा अधिकारी द्वारा कार्यादेश में अंकित खाता 09:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक
सेवा प्रदाता/वाहन स्वामी, प्रथम पक्ष को कार्यादेश में अंकित खाता 09:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक
शर्तों को पूर्ण करता है। वाहन भय और झाँझवर के उपलब्ध करायेगा। आपात स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यकता
अनुबन्ध में अंकित वाहन भय और झाँझवर करने का अधिकार होगा।


2. वाहन स्वामी के पास इस प्रकार के कार्य किये जाने का पूर्ण अनुमति है।

• वाहन अनिवार्य रूप से टैक्सी परिवहन का होना चाहिए। यदि उपरोक्त अनुबन्ध के समय वाहन स्वामी द्वारा
टैक्सी परिवहन जना नहीं किया गया है तो अनिवार्य रूप से टैक्सी परिवहन कार्यादेश। निर्धारित सेवा के 10 दिनों
के अन्दर कार्यालय मुख्य विकितसा अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। विना टैक्सी परिवहन उपलब्ध कराये
सेवा प्रदाता/वाहन स्वामी किसी भी भुगतान का पात्र नहीं होगा और न ही वह प्रथम पक्ष से इस सम्बन्ध में
कोई सांग पत्र प्रस्तुत करता है।

• वाहन और यात्राक डैट्यूटी रोटर के अनुसार हर समय उपलब्ध रहेगा और पूर्ण अनुमति के बिना कर्तव्य की जगह
को छोड़ नहीं सकता। किसी भी तात्कालिकता के मात्रते में झाँझवर उपयोगकर्ता की अनुमति प्राप्त कर सकते
होता। याहन के साथ व्यापक वीमा और झाँझवर लाइसेंस होना चाहिए वाहनों के
परिवहन विभाग द्वारा विधिवित प्रदूषण मानकों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। विभाग किसी भी यातान, उक्तसान, वहि
या यात्रन के किसी भी उपलब्ध के लिए या विस्तीर्ण अन्य के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। याहन या झाँझवर को या
किसी अन्य तिसरे पक्ष को घोट के लिए उक्तसान या क्षति या कानूनी खर्च ठेकेदार द्वारा वहन लिया जायेगा।
सभी याहनों में प्राथमिक विकितसा योग्य, स्टेप्पी एवं उपकरण बैंकस होने चाहिए। उपरोक्त समस्त व्यवस्थाएं
द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी।

• क्रमशः पृष्ठ 02 प....

Chief Medical Officer
Firozabad



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- ड्राइवरों शालीनता के साथ विनम्र, शिष्ट, स्थानीय भाषा में प्रवीण, तैयार होना चाहिए सिद्ध अखंडता, स्वस्थ्य
- कर्मियों की आदतों, ड्राइवरों की ओर से दुर्व्यवहार की घटना में जुर्माना लगाया जायेगा। चालकों / सहायकों किसी भी आपराधिक/अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई भी आपराधिक/ अनैतिक पृष्ठभूमि की वजह से सेवा में व्यवधान आने पर नुकसान/दंड पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा, इस तरह के चालक/हेल्पर भी कर्तव्यों से वर्जित किया जा सकता है।
- संचालक और कार्यों मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के अनुसार संचालित किया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चालक हमेशा सख्ती से यातायात नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए।
- चालक टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क, ईंधन और अन्य प्रासंगिक व्यय के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकदी ले जाना चाहिए।
- ठेकेदार वाहन के खराब होने पर अतिरिक्त वाहन की आवश्यकता को पूरा करने की स्थिति में होना चाहिए। सभी ड्राइवरों को ठेकेदार द्वारा मोबाइल फोन प्रदान करना होगा। अधोहस्ताक्षरी बिना कोई कारण बताए किसी भी अनुबन्ध रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- किसी भी प्रकार का विवाद होने पर जिला स्वास्थ्य समिति/मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- सभी राज्य कर/टोल टैक्स/पार्किंग शुल्क का भुगतान वाहन स्वामी/ऐजेंसी द्वारा किया जायेगा। स्रोत पर आयकर कटौती की जायेगी।
- विलिंग चक्र प्रत्येक माह की 1 तारीख से अन्तिम तारीख तक विचार किया जायेगा बिल वाहन स्वामी/ऐजेंसी को हर महीने के 5 तारीख तक प्रभारी अधिकारी से सत्यापित कराकर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जायेगी।
- ईंधन की कीमत में वृद्धि/कमी होने पर उल्लिखित कीमत पर कोई प्रभाव नहीं होगा
- द्वितीय पक्ष उपरोक्त अनुबन्धित वाहन को समय पर उपलब्ध करायेगा तथा यदि वाहन में किसी प्रकार की अव्यवस्था या खराबी पाई जाती है तो वाहन स्वामी को/द्वितीय पक्ष को उस वाहन के स्थान पर तत्काल दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी।

• क्रमांक: पेज 03 पर.....
Rev

Chief Medical Officer
Firozabad

- प्रत्येक वाहन का माइलोमीटर चाल हालत में होना चाहिए तथा गलत मीटर रीडिंग पाये जाने पर फर्म/वाहन स्वामी के दयेक का भुगतान रोका जा सकता है।
 - उपलब्ध कराये गये वाहन के चालक से किसी व्यक्ति/पशु के दुर्घटना में मृत अथवा किसी सामान या वस्तु के क्षतिग्रस्त होने पर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
 - वाहन का आंतरिक डेकोरेशन ठीक होना चाहिए, सीट कवर नये/धुले होने चाहिए तथा वाहन ठीक एवं चाल हालत में होना चाहिए। वाहन में किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक प्रतीक चिन्ह या मूर्ति नहीं लगाई जाएगी। वाहन में किसी भी प्रकार की नीली बत्ती/हूटर प्रयोग में नहीं लाई जायेगी।
 - वाहन के मरम्मत अथवा सक्षम अधिकारी के साथ सम्बद्ध वाहन के ब्रैक डाउन की सूचना प्राप्त होने की स्थिति में ऐजेन्सी/वाहन स्वामी को तत्काल वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
 - ऐजेन्सी/फर्म द्वारा समय से वाहन उपलब्ध नहीं कराये जाने की दशा में 1000.00 प्रतिदिन की दर से पैनाल्टी के साथ-साथ बाजार से लिये गये किराये के वाहन के वास्तविक किराये रु 24940/- से कटौती की जायेगी।
 - अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर ऐजेन्सी/वाहन स्वामी की जमानत की धनराशि जब्त की जा सकती ह, बिलों का भुगतान रोका जा सकता है तथा ऐजेन्सी का काली सूची में डाला जा सकता है अथवा अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।
 - वाहन को माह में कम से कम 25 दिन सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 पर जाना अनिवार्य होगा तथा माइक्रोलान के अनुसारफील्ड विजिट/जिला चिकित्सालय हेतु संदर्भन अथवा अन्य सम्बन्धित कार्य कराये जाने के उपरान्त ही पूरे माह का भुगतान किया जायेगा।
 - ऐजेन्सी/वाहन स्वामी को अपने वाहन में जी0पी0एस0 सिस्टम लगवाना अनिवार्य है, जी0पी0एस0 सिस्टम का यूजर आईडी0 व पासवर्ड उसी वाहन संख्या का मुख्यालय में दोनों अनिवार्य होगा। जी0पी0एस0 सिस्टम वाहन में ना लगवाने पर वाहन का अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा।।।
 - द्वितीय पक्ष धरोहर राशि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रूपये 20000/- की धरोहर राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन का नोटिस देकर अनुबंध खत्म करने पर या अनुबंध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।
 - द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथत पक्ष को भुगतान देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरणके साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा दस दिन के अन्दर अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।
 - व्यवस्था में किसी भी प्रकार का अवरोध आने पर द्वितीय पक्ष को समय पर इकाई के नोडल अधिकारी को सूचित करना होगा।
 - द्वितीय पक्ष को प्रतिमाह 24940/- रु प्रति माह दिया 2000 किमी तक की दर से देय होगा।
 - द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष द्वारा अथवा उसके द्वारा प्राधिकरत अधिकारी का होगा।
 - अनुबंध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटाराजनपद फिरोजाबाद के न्यायालय में होगा, तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
 - द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नहीं पाये राशि भी जब्त की जा सकती है।।।
 - यदि वाहन के प्रपत्रों में किसी भी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा तथा की गयी किसी भी कार्यवाही हेतु द्वितीय पक्ष जिम्मेदार होगा।।।
- स्थान:- फिरोजाबाद।
- दिनांक:-
- गवाह
- 1.....
- 2.....

हस्ताक्षर.....
 (द्वितीय पक्ष)
**Chief Medical Officer
 Firozabad**

हस्ताक्षर.....
 (द्वितीय पक्ष)

भारतीय नौरन्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जपते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

राजबन्धु मुद्रा
अनुबन्ध पत्र (नवीनीकरण) 8
6 मार्च 2016

CX 692127

प्रथम पक्ष

मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव स्वास्थ्य समितिजनपद फिरोजाबाद।

द्वितीय पक्ष

श्री रोहित शर्मा पुत्र श्री अशोक बाबू शर्मा सिंहलियासीमा 949 सुहाग नगर, फिरोजाबाद।

वाहन संख्या

UP 80 CT 6239

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव स्वास्थ्य समिति फिरोजाबाद द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मॉनीटीरिंग एवं सुपरविजन कार्यक्रम के सम्बन्ध में पूर्व में हुए निविदा दिनांक 03.03.2015 को जनपद फिरोजाबाद में सम्पादित किया गया। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक दिनांक 29.04.2016 के अनुमोदन के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में इस अनुबन्ध का नवीनीकरण दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक / नई निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने तक होगा।

1. द्वितीय पक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कार्यादेश में अंकित स्थान प्राठस्वाठकेन्द्र खैरगढ़, फिरोजाबाद पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मॉनीटीरिंग एवं सुपरविजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वाहन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा:-

1. सेवा प्रदाता/वाहन स्वामी, प्रथम पक्ष को कार्यादेश में अंकित स्थान पर प्रातः 09:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक अनुबन्ध में अंकित वाहन मय ड्राइवर के उपलब्ध करायेगा। आपात स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यकता के अनुरूप उपरोक्त समय सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार होगा।
2. वाहन स्वामी के पास इस प्रकार के कार्य किये जाने का पूर्व अनुभव है।
 - वाहन अनिवार्य रूप से टैक्सी परिमिट का होना चाहिए। यदि उपरोक्त अनुबन्ध के समय वाहन स्वामी द्वारा टैक्सी परिमिट जमा नहीं किया गया है तो अनिवार्य रूप से टैक्सी परिमिट कार्यादेश निर्गत होने के 10 दिवसों के अन्दर कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। बिना टैक्सी परिमिट उपलब्ध कराये सेवा प्रदाता/वाहन स्वामी किसी भी भुगतान का पात्र नहीं होगा और न ही वह प्रथम पक्ष से इस सम्बन्ध में कोई मांग पत्र प्रस्तुत करेगा।
 - वाहन और चालक ड्यूटी रोस्टर के अनुसार हर समय उपलब्ध रहेगा और पूर्व अनुमति के बिना कर्तव्य की जगह को छोड़ नहीं सकता। किसी भी तात्कालिकता के मामले में ड्राइवर उपयोगकर्ता की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। वाहन के साथ व्यापक बीमा और ड्राइवर्स वाणिज्यिक हल्के मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वाहनों के परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों के अनुरूप होना चाहिए। विभाग किसी भी चालान, नुकसान, क्षति या वाहन के किसी भी दुर्घटना के लिए या किसी अन्य के लिये जिम्मेदार नहीं होगा। वाहन या ड्राइवर को या किसी अन्य तीसरे पक्ष को चोट के लिए नुकसान या क्षति या कानूनी खर्च ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। सभी वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, स्टेपनी एवं उपकरण बॉक्स होने चाहिए। उपरोक्त समस्त व्यवस्थाएं द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी।

Chief Medical Officer
Firozabad

• क्रमशः पैज 02 पर.....

जैतरा

- ड्राइवरों शालीनता के साथ विनम्र, शिष्ट, स्थानीय भाषा में प्रवीण, तैयार होना चाहिए सिद्ध अखंडता, स्वस्थ्य कर्मियों की आदतों, ड्राइवरों की ओर से दुर्व्यवहार की घटना में जुर्माना लगाया जायेगा। चालकों /सहायकों किसी भी आपराधिक/अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई भी आपराधिक/ अनैतिक पृथक्षभूमि की वजह से सेवा में व्यवधान आने पर नुकसान/दंड पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा, इस तरह के चालक/हेल्पर भी कर्तव्यों से वर्जित किया जा सकता है।
- संचालक और कार्यों मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के अनुसार संचालित किया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चालक हमेशा सख्ती से यातायात नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए।
- चालक टोल टैक्स, पार्किंग भुल्क, ईंधन और अन्य प्रासंगिक व्यय के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकदी ले जाना चाहिए।
- ठेकेदार वाहन के खराब होने पर अतिरिक्त वाहन की आवश्यकता को पूरा करने की स्थिति में होना चाहिए। सभी ड्राइवरों को ठेकेदार द्वारा मोबाइल फोन प्रदान करना होगा। अधोहस्ताक्षरी बिना कोई कारण बताए किसी भी अनुबन्ध रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- किसी भी प्रकार का विवाद होने पर जिला स्वास्थ्य समिति/मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- सभी राज्य कर/टोल टैक्स/पार्किंग भुल्क का भुगतान वाहन स्वामी/ऐजेंसी द्वारा किया जायेगा।
- वाहनों की दी गई दरों में चालक के वेतन /ईंधन पर व्यय/अन्य अनुशासिंग व्यय सहित चालकों के साथमोबाइल फोन के व्यय का समावेश है।
- सर्विस टैक्स वाहन स्वामी/ऐजेंसी द्वारा भुगतान किया जायेगा। स्रोत पर आयकर कटौती की जायेगी।
- विलिंग चक्र प्रत्येक माह की 1 तारीख से अन्तिम तारीख तक विचार किया जायेगा बिल वाहन स्वामी/ऐजेंसी को हर महीने के 5 तारीख तक प्रभारी अधिकारी से सत्यापित कराकर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जायेगी।
- ईंधन की कीमत में वृद्धि/कमी होने पर उल्लिखित कीमत पर कोई प्रभाव नहीं होगा
- द्वितीय पक्ष उपरोक्त अनुबन्धित वाहन को समय पर उपलब्ध करायेगा तथा यदि वाहन में किसी प्रकार की अव्यवस्था या खराबी पाई जाती है तो वाहन स्वामी को/द्वितीय पक्ष को उस वाहन के स्थान पर तत्काल दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी।
- प्रत्येक वाहन का माइलोमीटर चाल हूलत में होना चाहिए तथा गलत मीटर रीडिंग पाये जाने पर फर्म/वाहन स्वामी के देयक का भुगतान रोका जा सकता है।
- उपलब्ध कराये गये वाहन के चालक से किसी व्यक्ति/पशु के दुर्घटना में मृत अथवा किसी सामान या वस्तु के क्षतिग्रस्त होने पर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- वाहन का आंतरिक डेकोरेशन ठीक होना चाहिए, सीट कवर नये/धुले होने चाहिए तथा वाहन ठीक एवं चाल हूलत में होना चाहिए। वाहन में किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक प्रतीक चिन्ह या मूर्ति नहीं लगाई जाएगी। वाहन में किसी भी प्रकार की नीली बत्ती/हूटर प्रयोग में नहीं लाई जायेगी।
- वाहन के मरम्मत अथवा सक्षम अधिकारी के साथ सम्बद्ध वाहन के ब्रैक डाउन की सूचना प्राप्त होने की स्थिति में ऐजेन्सी/वाहन स्वामी को तत्काल वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- ऐजेन्सी/फर्म द्वारा समय से वाहन उपलब्ध नहीं कराये जाने की दशा में 1000.00 प्रतिदिन की दर से पैनाल्टी के साथ-साथ बाजार से लिये गये किराये के वाहन के वास्तविक किराये रु 24850/- से कटौती की जायेगी।
- अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर ऐजेन्सी/वाहन स्वामी की जमानत की धनराशि जब्त की जा सकती है, बिलों का भुगतान रोका जा सकता है तथा ऐजेन्सी का काली सूची में डाला जा सकता है अथवा अन्य वैधानिक कार्रवाही की जा सकती है।

Chief Medical Officer
Firozabad

• क्रमशः पेज 03 पर.....

२०१८

- वाहन को माह में कम से कम 25 दिन सी०ए०सी०/ पी०ए०सी० पर जाना अनिवार्य होगा तथा माइक्रोप्लान के अनुसारफील्ड विजिट/जिला चिकित्सालय हेतु संदर्भन अथवा अन्य सम्बन्धित कार्य कराये जाने के उपरान्त ही पूरे माह का भुगतान किया जायेगा।
 - ऐजेन्सी/वाहन स्वामी को अपने वाहन में जी०पी०ए०स० सिस्टम लगवाना अनिवार्य है, जी०पी०ए०स० सिस्टम का यूजर आई०डी० व पासवर्ड उसी वाहन संख्या का मुख्यालय में दोनों अनिवार्य होगा। जी०पी०ए०स० सिस्टम वाहन में ना लगवाने पर वाहन का अनबुध निरस्त कर दिया जायेगा।।।
2. द्वितीय पक्ष धरोहर राशि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रूपये 20000/- की धरोहर राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन का नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।
3. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरणके साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा दस दिन के अन्दर अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. व्यवस्था में किसी भी प्रकार का अवरोध आने पर द्वितीय पक्ष को समय पर इकाई के नोडल अधिकारी को सूचित करना होगा।
5. द्वितीय पक्ष को प्रतिमाह 24850/- रु प्रति माह दिया 2000 किमी तक की दर से देय होगा।
6. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष द्वारा अथवा उसके द्वारा प्राधिकत अधिकारी का होगा।
7. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटाराजनपद फिरोजाबाद के न्यायालय में होगा, तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
8. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्तष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

स्थान:- फिरोजाबाद।

दिनांक:-

हस्ताक्षर.....Chief Medical Officer
(प्रथम पक्ष) Firozabad
(द्वितीय पक्ष)

गवाह
1. नीलगंगा भाट

2. फिरोज़ खान

हस्ताक्षर.....
(द्वितीय पक्ष) शेरामपुरा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CX 812295

अनुबन्ध पत्र(नवीनीकरण)

प्रथम पक्ष
द्वितीय पक्ष
वाहन संख्या

मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव—जिला स्वास्थ्य समितिजनपद फिरोजाबाद।
श्री किशन सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी—भीम नगर, फिरोजाबाद।

UP 83 AT 6904

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव स्वास्थ्य समिति फिरोजाबाद द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मॉनीटीरिंग एवं सुपरविजन कार्यक्रम के सम्बन्ध में पूर्व में हुए निविदा दिनांक 03.03.2015 को जनपद फिरोजाबाद में सम्पादित किया गया। जिला स्वास्थ्य समिति की वैठक दिनांक 29.04.2016 के अनुमोदन के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में इस अनुबन्ध का नवीनीकरण दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक / नई निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने तक होगी।

1. द्वितीय पक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कार्यादेश में अंकित स्थान प्राठस्वाठकेन्द्र कोटला, फिरोजाबाद पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मॉनीटीरिंग एवं सुपरविजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वाहन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा—

1. सेवा प्रदाता/वाहन स्वामी, प्रथम पक्ष को कार्यादेश में अंकित स्थान पर प्रातः 09:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक अनुबन्ध में अंकित वाहन मय ड्राइवर के उपलब्ध करायेगा। आपात स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यकता के अनुरूप उपरोक्त समय सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार होगा।
2. वाहन स्वामी के पास इस प्रकार के कार्य किये जाने का पूर्व अनुभव है।

- वाहन अनिवार्य रूप से टैक्सी परिमिट का होना चाहिए। यदि उपरोक्त अनुबन्ध के समय वाहन स्वामी द्वारा टैक्सी परिमिट जमा नहीं किया गया है तो अनिवार्य रूप से टैक्सी परिमिट कार्यादेश निर्धारित होने के 10 दिवसों के अन्दर कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। बिना टैक्सी परिमिट उपलब्ध कराये सेवा प्रदाता/वाहन स्वामी किसी भी भुगतान का पात्र नहीं होगा और न ही वह प्रथम पक्ष से इस सम्बन्ध में कोई मांग पत्र प्रस्तुत करेगा।

- वाहन और चालक ड्यूटी रोल्स्टर के अनुसार हर समय उपलब्ध रहेगा और पूर्व अनुमति के बिना कर्तव्य की जगह को छोड़ नहीं सकता। किसी भी तात्कालिकता के मामले में ड्राइवर उपयोगकर्ता की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। वाहन के साथ व्यापक वीमा और ड्राइवर्स वाणिज्यिक हल्के मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वाहनों के परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों के अनुरूप होना चाहिए। विभाग किसी भी चालान, नुकसान, क्षति या वाहन के किसी भी दुर्घटना के लिए या किसी अन्य के लिये जिम्मेदार नहीं होगा। वाहन या ड्राइवर को या किसी अन्य तीसरे पक्ष को चोट के लिए नुकसान या क्षति या कानूनी खर्च ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। सभी वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा वॉक्स, स्टेपनी एवं उपकरण वॉक्स होने चाहिये। उपरोक्त समस्त व्यवस्थाएँ द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी।

• प्रक्रमशः पैज 02 पर....

Chief Medical Officer
Firozabad

03/01/15

- ड्राइवरों शालीनता के साथ विनम्र, शिष्ट, स्थानीय भाशा में प्रवीण, तैयार होना चाहिए सिद्ध अखंडता, स्वस्थ्य कर्मियों की आदतों, ड्राइवरों की ओर से दुर्घटना की घटना में जुर्माना लगाया जायेगा। चालकों / सहायकों किसी भी आपराधिक / अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई भी आपराधिक / अनैतिक पृथग्भूमि की वजह से सेवा में व्यवधान आने पर नुकसान / दंड पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा, इस तरह के चालक / हेल्पर भी कर्तव्यों से वर्जित किया जा सकता है।
- संचालक और कार्यों मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के अनुसार संचालित किया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चालक हमेशा सख्ती से यातायात नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए।
- चालक टोल टैक्स, पार्किंग भुल्क, ईंधन और अन्य प्रासंगिक व्यय के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकदी ले जाना चाहिए।
- ठेकेदार वाहन के खराब होने पर अतिरिक्त वाहन की आवश्यकता को पूरा करने की स्थिति में होना चाहिए। सभी ड्राइवरों को ठेकेदार द्वारा मोबाइल फोन प्रदान करना होगा। अधोहस्ताक्षरी बिना कोई कारण बताए किसी भी अनुबन्ध रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- किसी भी प्रकार का विवाद होने पर जिला स्वास्थ्य समिति / मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- सभी राज्य कर / टोल टैक्स / पार्किंग भुल्क का भुगतान वाहन स्वामी / ऐजेंसी द्वारा किया जायेगा।
- वाहनों की दी गई दरों में चालक के वेतन / ईंधन पर व्यय / अन्य अनुशासिक व्यय सहित चालकों के साथ मोबाइल फोन के व्यय का समावेश है।
- सर्विस टैक्स वाहन स्वामी / ऐजेंसी द्वारा भुगतान किया जायेगा। स्रोत पर आयकर कटौती की जायेगी।
- विलिंग चक्र प्रत्येक माह की 1 तारीख से अन्तिम तारीख तक विचार किया जायेगा बिल वाहन स्वामी / ऐजेंसी को हर महीने के 5 तारीख तक प्रभारी अधिकारी से सत्यापित कराकर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जायेगी।
- ईंधन की कीमत में वृद्धि / कमी होने पर उल्लिखित कीमत पर कोई प्रभाव नहीं होगा
- द्वितीय पक्ष उपरोक्त अनुबन्धित वाहन को समय पर उपलब्ध करायेगा तथा यदि वाहन में किसी प्रकार की अव्यवस्था या खराबी पाई जाती है तो वाहन स्वामी को / द्वितीय पक्ष को उस वाहन के स्थान पर तत्काल दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी।
- प्रत्येक वाहन का माइलोमीटर चाल हूलत में होना चाहिए तथा गलत भीटर रीडिंग पाये जाने पर फर्म / वाहन स्वामी के दयेक का भुगतान रोका जा सकता है।
- उपलब्ध कराये गये वाहन के चालक से किसी व्यक्ति / पशु के दुर्घटना में मृत अथवा किसी सामान या वस्तु के क्षतिग्रस्त होने पर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- वाहन का आंतरिक डेकोरेशन ठीक होना चाहिए, सीट कवर नये / धुले होने चाहिए तथा वाहन ठीक एवं चाल हूलत में होना चाहिए। वाहन में किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक प्रतीक चिन्ह या मूर्ति नहीं लगाई जाएगी। वाहन में किसी भी प्रकार की नीली बत्ती / हूटर प्रयोग में नहीं लाई जायेगी।
- वाहन के मरम्मत अथवा सक्षम अधिकारी के साथ सम्बद्ध वाहन के ब्रैक डाउन की सूचना प्राप्त होने की स्थिति में ऐजेंसी / वाहन स्वामी को तत्काल वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- ऐजेंसी / फर्म द्वारा समय से वाहन उपलब्ध नहीं कराये जाने की दशा में 1000.00 प्रतिदिन की दर से पैनाल्टी के साथ-साथ बाजार से लिये गये किराये के वाहन के वास्तविक किराये रु 24940/- से कटौती की जायेगी।
- अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर ऐजेंसी / वाहन स्वामी की जमानत की धनराशि जब्त की जा सकती है, बिलों का भुगतान रोका जा सकता है तथा ऐजेंसी का काली सूची में डाला जा सकता है अथवा अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।

(VJ)

Chief Medical Officer
Firozabad

• क्रमशः पेज 03 पर.....

03-11-16

- वाहन को माह में कम से कम 25 दिन सी०ए०सी० / पी०ए०सी० पर जाना अनिवार्य होगा तथा माइक्रोलान के अनुसारफील्ड विजिट / जिला चिकित्सालय हेतु संदर्भन अथवा अन्य सम्बन्धित कार्य कराये जाने के उपरान्त ही पूरे माह का भुगतान किया जायेगा ।
- ऐजेन्सी/वाहन स्वामी को अपने वाहन में जी०पी०ए०स० सिस्टम लगवाना अनिवार्य है, जी०पी०ए०स० सिस्टम का यूजर आई०डी० व पासवर्ड उसी वाहन संख्या का मुख्यालय में दनों अनिवार्य होगा । जी०पी०ए०स० सिस्टम वाहन में ना लगवाने पर वाहन का अनबंध निरस्त कर दिया जायेगा ॥

द्वितीय पक्ष धरोहर राशि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रूपये 20000/- की धरोहर राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन का नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी ।

द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथत पक्ष को भुगतान देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरणके साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा दस दिन के अन्दर अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा ।

- व्यवस्था में किसी भी प्रकार का अवरोध आने पर द्वितीय पक्ष को समय पर इकाई के नोडल अधिकारी को सूचित करना होगा ।
- द्वितीय पक्ष को प्रतिमाह 24940/- रु प्रति माह दिया 2000 किमी तक की दर से देय होगा ।
- द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय—समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष द्वारा अथवा उसके द्वारा प्राधिकत अधिकारी का होगा ।
- अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटाराजनपद फिरोजाबाद के न्यायालय में होगा, तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा ।
- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्तप्तीकरण का जबाब संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है ।

स्थान:-फिरोजाबाद ।

दिनांक:-


हस्ताक्षर...Chief Medical Officer
(प्रथम पक्ष) Firozabad

गवाह

1..... डॉ. गीष पाठक

2..... डॉ. रमेश

हस्ताक्षर..... (0521/108) ३
(द्वितीय पक्ष)



CV 024313

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्ष

मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सतिवा-पिता स्वास्थ्य समितिजनपद फिरोजाबाद।

द्वितीय पक्ष

श्री हृदय मोहन जैन पुत्र स्वर्ग प्रेमचन्द्र निवासी-205 जैन नगर, फिरोजाबाद।

वाहन संख्या

UP 83 AT 6816

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव स्वास्थ्य समिति फिरोजाबाद द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मॉनीटीरिंग एवं सुपरविजन कार्यक्रम के सम्बन्ध में पूर्व में हुए निविदा दिनांक 03.03.2015 को जनपद फिरोजाबाद में सम्पादित किया गया। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक दिनांक 29.04.2016 के अनुमोदन के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में इस अनुबन्ध का नवीनीकरण दिनांक 19.10.2016 से 31.03.2017 तक / नई निविदा की कार्यवाही पूर्ण होने तक होगा।

1. द्वितीय पक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कार्यादेश में अंकित स्थान कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फिरोजाबाद पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मॉनीटीरिंग एवं सुपरविजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वाहन की

व्यवस्था करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा:-

- I. सेवा प्रदाता/वाहन स्वामी, प्रथम पक्ष को कार्यादेश में अंकित स्थान पर प्रातः 09:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक अनुबन्ध में अंकित वाहन भय ड्राइवर के उपलब्ध करायेगा। आपात स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यकता के अनुरूप उपरोक्त समय सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार होगा।
- II. वाहन स्वामी के पास इस प्रकार के कार्य किये जाने का पूर्व अनुभव है।
- वाहन अनिवार्य रूप से टैक्सी परिमिट का होना चाहिए। यदि उपरोक्त अनुबन्ध के समय वाहन स्वामी द्वारा टैक्सी परिमिट जमा नहीं किया गया है तो अनिवार्य रूप से टैक्सी परिमिट कार्यादेश निर्गत होने के 10 दिवसों के अन्दर कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। बिना टैक्सी परिमिट उपलब्ध कराये सेवा प्रदाता/वाहन स्वामी किसी भी भुगतान का पात्र नहीं होगा और न ही वह प्रथम पक्ष से इस सम्बन्ध में कोई मांग पत्र प्रस्तुत करेगा।
- वाहन और चालक ड्यूटी रोस्टर के अनुसार हर समय उपलब्ध रहेगा और पूर्व अनुमति के बिना कर्तव्य की जगह को छोड़ नहीं सकता। किसी भी तात्कालिकता के मामले में ड्राइवर उपर्योगकर्ता की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। वाहन के साथ व्यापक बीमा और ड्राइवर्स वाणिज्यिक हल्के मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वाहनों के परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों के अनुरूप होना चाहिए। विभाग किसी भी चालान, नुकसान, क्षति या वाहन के किसी भी दुर्घटना के लिए या किसी अन्य के लिये जिम्मेदार नहीं होगा। वाहन या ड्राइवर को या किसी अन्य तीसरे पक्ष के चोट के लिए नुकसान या क्षति या कानूनी खर्च ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। सभी वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, स्टेपनी एवं उपकरण बॉक्स होने चाहिए। उपरोक्त समस्त व्यवस्थाएं द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी।

क्रमशः पेज 02 पर.....

Chief Medical Officer
Firozabad

- ड्राइवरों शालीनता के साथ विनप्र, शिष्ट, स्थानीय भाषा में प्रवीण, तैयार होना चाहिए सिद्ध अखंडता , स्वस्थ्य कर्मियों की आदतों, ड्राइवरों की ओर से दुर्घटना की घटना में जुर्माना लगाया जायेगा। चालकों /सहायकों किसी भी आपराधिक/अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई भी आपराधिक/ अनैतिक पृष्ठभूमि की वजह से सेवा में व्यवधान आने पर नुकसान/दंड पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा, इस तरह के चालक/हेल्पर भी कर्तव्यों से वर्जित किया जा सकता है।
- संचालक और कार्यों मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के अनुसार संचालित किया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चालक हमेशा सख्ती से यातायात नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए।
- चालक टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क, ईंधन और अन्य प्रासंगिक व्यय के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकदी ले जाना चाहिए।
- टेकेदार वाहन के खराब होने पर अतिरिक्त वाहन की आवश्यकता को पूरा करने की स्थिति में होना चाहिए। सभी ड्राइवरों को टेकेदार द्वारा मोबाइल फोन प्रदान करना होगा। अधोहस्ताक्षरी बिना कोई कारण बताए किसी भी अनुबन्ध रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- किसी भी प्रकार का विवाद होने पर जिला स्वास्थ्य समिति/मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- सभी राज्य कर/टोल टैक्स/पार्किंग शुल्क का भुगतान वाहन स्वामी/ऐजेंसी द्वारा किया जायेगा।
- वाहनों की दी गई दरों में चालक के वेतन /ईंधन पर व्यय/अन्य अनुषांगिक व्यय सहित चालकों के साथमोबाइल फोन के व्यय का समावेश है।
- सर्विस टैक्स वाहन स्वामी/ऐजेंसी द्वारा भुगतान किया जायेगा। स्रोत पर आयकर कटौती की जायेगी।
- विलिंग चक्र प्रत्येक माह की 1 तारीख से अन्तिम तारीख तक विचार किया जायेगा बिल वाहन स्वामी/ऐजेंसी को हर महीने के 5 तारीख तक प्रभारी अधिकारी से सत्यापित कराकर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जायेगी।
- ईंधन की कीमत में वृद्धि/कमी होने पर उल्लिखित कीमत पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
- द्वितीय पक्ष उपरोक्त अनुबन्धित वाहन को समय पर उपलब्ध करायेगा तथा यदि वाहन में किसी प्रकार की अव्यवस्था या खराबी पाई जाती है तो वाहन स्वामी को/द्वितीय पक्ष को उस वाहन के स्थान पर तत्काल दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी।
- प्रत्येक वाहन का माइलोमीटर चाल हालत में होना चाहिए तथा गलत मीटर रीडिंग पाये जाने पर फर्म/वाहन स्वामी के दयेक का भुगतान रोका जा सकता है।
- उपलब्ध कराये गये वाहन के चालक से किसी व्यक्ति/पशु के दुर्घटना में मृत अथवा किसी सामान या वस्तु के क्षतिग्रस्त होने पर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- वाहन का आंतरिक डेकोरेशन ठीक होना चाहिए, सीट कवर नये/धूले होने चाहिए तथा वाहन ठीक एवं चाल हालत में होना चाहिए। वाहन में किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक प्रतीक चिन्ह या मूर्ति नहीं लगाई जाएगी। वाहन में किसी भी प्रकार की नीली बत्ती/हूटर प्रयोग में नहीं लाई जायेगी।
- वाहन के मरम्मत अथवा सक्षम अधिकारी के साथ सम्बद्ध वाहन के ब्रैक डाउन की सूचना प्राप्त होने की स्थिति में ऐजेंसी/वाहन स्वामी को तत्काल वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- ऐजेंसी/फर्म द्वारा समय से वाहन उपलब्ध नहीं कराये जाने की दशा में 1000.00 प्रतिदिन की दर से पैनाल्टी के साथ-साथ बाजार से लिये गये किराये के वाहन के वास्तविक किराये रु 24940/- से कटौती की जायेगी।
- अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर ऐजेंसी/वाहन स्वामी की जमानत की धनराशि जब्त की जा सकती है, बिलों का भुगतान रोका जा सकता है तथा ऐजेंसी का काली सूची में डाला जा सकता है अथवा अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।

क्रमशः पेज 03 पर.....
Chief Medical Officer
Firozabad

H.M.J.

- वाहन को माह में कम से कम 25 दिन ₹०१०८००५०० / पी०१०८००५०० पर जाना अनिवार्य होगा तथा नाइक्रोप्लान के अनुसारफील्ड विजिट / जिला चिकित्सालय हेतु संदर्भन अथवा अन्य सम्बन्धित कार्य कराये जाने के उपरान्त ही पूरे माह का भुगतान किया जायेगा।
 - ऐजेन्सी / वाहन स्वामी को अपने वाहन में ₹०५०१०८०० सिस्टम लगवाना अनिवार्य है, जी०पी०१०८०० सिस्टम का यूजर आई०डी० व पासवर्ड उसी वाहन संख्या का मुख्यालय में दनों अनिवार्य होगा। जी०पी०१०८०० सिस्टम वाहन में ना लगवाने पर वाहन का अनबुंध निरस्त कर दिया जायेगा।।।
2. द्वितीय पक्ष धरोहर राशि के रूप में जिलां स्वास्थ्य समिति के नाम रूपये 20000/- की धरोहर राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन का नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।।।
3. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरणके साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा दस दिन के अन्दर अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।।।
4. व्यवस्था में किसी भी प्रकार का अवरोध आने पर द्वितीय पक्ष को समय पर इकाई के नोडल अधिकारी को सूचित करना होगा।।।
5. द्वितीय पक्ष को प्रतिमाह 24940/- रु प्रति माह दिया 2000 किमी तक की दर से देय होगा।।।
6. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष द्वारा अथवा उसके द्वारा प्राधिकरण अधिकारी का होगा।।।
7. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटाराजनपद फिरोजाबाद के न्यायालय में होगा, तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।।।
8. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्तर्षीकरण का जबाव संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।।।
9. यदि वाहन के प्रपत्रों में किसी भी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा तथा की गयी किसी भी कार्यवाही हेतु द्वितीय पक्ष जिम्मेदार होगा।।।

स्थानः—फिरोजाबाद।

दिनांकः—

हस्ताक्षर
Chief Medical Officer
(प्रथम पक्ष) Firozabad

हस्ताक्षर
(द्वितीय पक्ष)

गवाह
1..... Sandip

2..... विजयस



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH अनुबन्ध मंत्र (नवीनीकरण)

CV 000129

प्रथम पक्ष

मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव स्वास्थ्य निवासी-205 अमितजनपद फिरोजाबाद।

द्वितीय पक्ष

श्री हृदय मोहन जैन पुत्र स्व० प्रेमचन्द्र निवासी-205 जैन नगर, फिरोजाबाद।

वाहन संख्या

UP 83 AT 4768

यह अनुबन्ध मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव स्वास्थ्य समिति फिरोजाबाद द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मॉनीटीरिंग एवं सुपरविजन कार्यक्रम के सम्बन्ध में पूर्व में हुए निविदा दिनांक 03.03.2015 को स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मॉनीटीरिंग एवं सुपरविजन कार्यक्रम के सम्बन्ध में पूर्व में हुए निविदा दिनांक 29.04.2016 के अनुमोदन के बिन्दु जनपद फिरोजाबाद में सम्पादित किया गया। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक दिनांक 18.10.2016 से 31.03.2017 तक/ नई निविदा की कार्यवाही पूर्ण संख्या 1 के क्रम में इस अनुबन्ध का नवीनीकरण दिनांक 17.OCT.2016 अमितजनपद फिरोजाबाद।

1. द्वितीय पक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कार्यादेश में अंकित स्थान कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फिरोजाबाद पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मॉनीटीरिंग एवं सुपरविजन कार्यक्रम के अन्तर्गत वाहन की फिरोजाबाद में सम्पादित किया गया। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक दिनांक 29.04.2016 के अनुमोदन के बिन्दु व्यवस्था करने के सम्बन्ध में निम्न शर्तों को पूरा करेगा:-

I. सेवा प्रदाता/वाहन स्वामी, प्रथम पक्ष को कार्यादेश में अंकित स्थान पर प्रातः 09:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक अनुबन्ध में अंकित वाहन मय ड्राइवर के उपलब्ध करायेगा। आपात स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी को आवश्यकता के अनुरूप उपरोक्त समय सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार होगा।

II. वाहन स्वामी के पास इस प्रकार के कार्य किये जाने का पूर्व अनुभव है।

• वाहन अनिवार्य रूप से टैक्सी परिमिट का होना चाहिए। यदि उपरोक्त अनुबन्ध के समय वाहन स्वामी द्वारा टैक्सी परिमिट जमा नहीं किया गया है तो अनिवार्य रूप से टैक्सी परिमिट कार्यादेश निर्गत होने के 10 दिवसों के अन्दर कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। बिना टैक्सी परिमिट उपलब्ध कराये सेवा प्रदाता/वाहन स्वामी किसी भी भुगतान का पात्र नहीं होगा और न ही वह प्रथम पक्ष से इस सम्बन्ध में कोई मांग पत्र प्रस्तुत करेगा।

• वाहन और चालक ड्यूटी रोस्टर के अनुसार हर समय उपलब्ध रहेगा और पूर्व अनुमति के बिना कर्तव्य की जगह को छोड़ नहीं सकता। किसी भी तात्कालिकता के मामले में ड्राइवर उपयोगकर्ता की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। वाहन के साथ व्यापक बीमा और ड्राइवर्स वाणिज्यिक हल्के मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वाहनों के परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों के अनुरूप होना चाहिए। विभाग किसी भी चालान, नुकसान, क्षति या वाहन के किसी भी दुर्घटना के लिए या किसी अन्य के लिये जिम्मेदार नहीं होगा। वाहन या ड्राइवर को या किसी अन्य तीसरे पक्ष को चोट के लिए नुकसान या क्षति या कानूनी खर्च ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा। सभी वाहनों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, स्टेपनी एवं उपकरण बॉक्स होने चाहिये। उपरोक्त समस्त व्यवस्थाएं द्वितीय पक्ष द्वारा की जायेगी।

Hjm

Chief Medical Officer
Firozabad

• क्रमशः पेज 02 पर.....

- ड्राइवरों शालीनता के साथ विनम्र, शिष्ट, स्थानीय भाषा में प्रवीण, तैयार होना चाहिए सिद्ध अखंडता , स्वस्थ्य कर्मियों की आदतों, ड्राइवरों की ओर से दुर्व्यवहार की घटना में जुर्माना लगाया जायेगा। चालकों /सहायकों किसी भी आपराधिक/अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई भी आपराधिक/ अनैतिक पृष्ठभूमि की वजह से सेवा में व्यवधान आने पर नुकसान/दंड पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा, इस तरह के चालक/हेल्पर भी कर्तव्यों से वर्जित किया जा सकता है।
- संचालक और कार्यों मोटर वाहन अधिनियम और नियमावली के अनुसार संचालित किया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चालक हमेशा सख्ती से यातायात नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए।
- चालक टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क, ईधन और अन्य प्रासंगिक व्यय के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकदी ले जाना चाहिए।
- ठेकेदार वाहन के खराब होने पर अतिरिक्त वाहन की आवश्यकता को पूरा करने की स्थिति में होना चाहिए। सभी ड्राइवरों को ठेकेदार द्वारा मोबाइल फोन प्रदान करना होगा। अधोहस्ताक्षरी बिना कोई कारण बताए किसी भी अनुबन्ध रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- किसी भी प्रकार का विवाद होने पर जिला स्वास्थ्य समिति/मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- सभी राज्य कर/टोल टैक्स/पार्किंग शुल्क का भुगतान वाहन स्वामी/ऐजेंसी द्वारा किया जायेगा।
- वाहनों की दी गई दरों में चालक के वेतन /ईधन पर व्यय/अन्य अनुषांगिक व्यय सहित चालकों के साथमोबाइल फोन के व्यय का समावेश है।
- सर्विस टैक्स वाहन स्वामी/ऐजेंसी द्वारा भुगतान किया जायेगा। स्रोत पर आयकर कटौती की जायेगी।
- विलिंग चक्र प्रत्येक माह की 1 तारीख से अन्तिम तारीख तक विचार किया जायेगा बिल वाहन स्वामी/ऐजेंसी को हर महीने के 5 तारीख तक प्रभारी अधिकारी से सत्यापित कराकर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जायेगी।
- ईधन की कीमत में वृद्धि/कमी होने पर उल्लिखित कीमत पर कोई प्रभाव नहीं होगा
- द्वितीय पक्ष उपरोक्त अनुबन्धित वाहन को समय पर उपलब्ध करायेगा तथा यदि वाहन में किसी प्रकार की अव्यवस्था या खराबी पाई जाती है तो वाहन स्वामी को/द्वितीय पक्ष को उस वाहन के स्थान पर तत्काल दूसरे वाहन की व्यवस्था करनी होगी।
- प्रत्येक वाहन का माइलोमीटर चाल हूलत में होना चाहिए तथा गलत मीटर रीडिंग पाये जाने पर फर्म/वाहन स्वामी के दयेक का भुगतान रोका जा सकता है।
- उपलब्ध कराये गये वाहन के चालक से किसी व्यक्ति/पशु के दुर्घटना में मृत अथवा किसी सामान या वस्तु के क्षतिग्रस्त होने पर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- वाहन का आंतरिक डेकोरेशन ठीक होना चाहिए, सीट कवर नये/धुले होने चाहिए तथा वाहन ठीक एवं चाल हूलत में होना चाहिए। वाहन में किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक प्रतीक चिन्ह या मूर्ति नहीं लगाई जाएगी। वाहन में किसी भी प्रकार की नीली बत्ती/हूटर प्रयोग में नहीं लाई जायेगी।
- वाहन के मरम्मत अथवा सक्षम अधिकारी के साथ सम्बद्ध वाहन के ब्रैक डाउन की सूचना प्राप्त होने की स्थिति में ऐजेंसी/वाहन स्वामी को तत्काल वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- ऐजेंसी/फर्म द्वारा समय से वाहन उपलब्ध नहीं कराये जाने की दशा में 1000.00 प्रतिदिन की दर से पैनालटी के साथ-साथ बाजार से लिये गये किराये के वाहन के वास्तविक किराये रु 24940/- से कटौती की जायेगी।
- अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर ऐजेंसी/वाहन स्वामी की जमानत की धनराशि जब्त की जा सकती है, बिलों का भुगतान रोका जा सकता है तथा ऐजेंसी का काली सूची में डाला जा सकता है अथवा अन्य वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।

• क्रमशः पेज 03 पर.....

Chief Medical Officer
Firozabad

- वाहन को माह में कम से कम 25 दिन सी०एच०सी०/पी०एच०सी० पर जाना अनिवार्य होगा तथा माइक्रोलान के अनुसारफील्ड विजिट/जिला चिकित्सालय हेतु संदर्भन अथवा अन्य सम्बन्धित कार्य कराये जाने के उपरान्त ही पूरे माह का भुगतान किया जायेगा।
 - ऐजेन्सी/वाहन स्वामी को अपने वाहन में जी०पी०एस० सिस्टम लगवाना अनिवार्य है, जी०पी०एस० सिस्टम का यूजर आई०डी० व पासवर्ड उसी वाहन संख्या का मुख्यालय में दनों अनिवार्य होगा। जी०पी०एस० सिस्टम वाहन में ना लगवाने पर वाहन का अनबुध निरस्त कर दिया जायेगा।।।
2. द्वितीय पक्ष धरोहर राशि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति के नाम रूपये 20000/- की धरोहर राशि जमा करेगा, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 15 दिन का नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को वापस करनी होगी।
 3. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को भुगतान देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरणके साथ आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्षकार द्वारा दस दिन के अन्दर अर्थात् 15 तारीख तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा।
 4. व्यवस्था में किसी भी प्रकार का अवरोध आने पर द्वितीय पक्ष को समय पर इकाई के नोडल अधिकारी को सूचित करना होगा।
 5. द्वितीय पक्ष को प्रतिमाह 24940/- रु प्रति माह दिया 2000 किमी तक की दर से देय होगा।
 6. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष द्वारा अथवा उसके द्वारा प्राधिकत अधिकारी का होगा।
 7. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटाराजनपद फिरोजाबाद के न्यायालय में होगा, तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
 8. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्तप्तीकरण का जबाव संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।
 9. यदि वाहन के प्रपत्रों में किसी भी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा तथा की गयी किसी भी कार्यवाही हेतु द्वितीय पक्ष जिम्मेदार होगा।

स्थान:-फिरोजाबाद।

दिनांक:-

हस्ताक्षर.....
Chief Medical Officer
(प्रथम पक्ष) Firozabad

2.....

हस्ताक्षर.....
(द्वितीय पक्ष)